बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

सोमवार, तिथि ११ अप्रील १९६०।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में सोमवार, तिथि ११ अप्रील १९६० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष, श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्री कृष्णकान्त सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं गत् पंचम सत्र, फरवरी-मई, १९५९ के शेष ८५६ अनागत प्रश्नों में से १११ तारांकित प्रश्नों के उत्तर मेज पर रखता हूं। शेष प्रश्नों के उत्तर सचिवालय से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

सूची।

क्रम संख्या।	सदस्य का नाम।	प्रश्न संख्या।
१	श्री लषणलाल कपूर	१४, २४१।
२	श्री जगन्नाथ महतो	६९, १६४९।
३	श्री गंगा प्रसाद सिंहा	२०६, २०७।
४	श्रीमती रामदुलारी शास्त्री	२०९, २१०।
५	श्री रामानन्द तिवारी	२८०, ८२७, १५७५, १५७८, १६७६।
६	श्री रामदेव सिंह	३७०, ९०५, ९७२, १००५, १२३४, १८४९।
७	श्री घनश्याम सिंह	४०७, १२०२।
८	श्री प्रभुनारायण राय	४३०, १५०९, १५९०।
९	श्री सभापति सिंह	५४७, १९८१, २०१०।
१०	श्री गंगा नाथ मिश्र	५७५, १२४५।
११	श्री हेमलाल प्रगनैत	५९९।
१२	श्री दशरथ तिवारी	६००, १९०९।
१३	श्री रामजनम महतो	७११।
१४	श्रीमती शान्ति देवी	७५७।

made on plea of paucity of funds in spite of repeated requests made by him;

(4) whether it is a fact that the work done was duly measured long ago but the amount found due has not yet been paid to the contractor;

(5) if answers to the above clauses be in the affirmative, do Government propose to take steps so that the dues of the contractor may be paid to him; if not, why?

श्री विनोदानन्द झा—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) एग्रीमेन्ट के अनुकूल निर्धारित समय १५ मई १९५६ तक ठीकेदार ने कोई काम नहीं किया। हिताधिकारियों ने उन्हें काम करने से कभी नहीं रोका। निर्धारित समय के बाद ५८३ रु० का काम किया गया जिसकी सूचना ठीकेदार ने ३ मई १९५८ को दी और जिसकी अन्तिम नापी सर्किल ऑफिसर ने ३० जून १९५८ को ली।

(३) (४) और (५), हां ठीकेदार को केवल २९० रु० अग्रिम दिया गया था किन्तु निर्धारित समय तक काम नहीं होने के कारण और अधिक अग्रिम देने का प्रश्न नहीं उठता था। एग्रीमेन्ट की शर्त्त पूरी नहीं होने के कारण, और इसकी दूसरी शर्त्त कि समय पर काम नहीं होने पर पहले का दिया हुआ अग्रिम ठीकेदार को वापस करना पड़ेगा अग्रिम को वापस लेने के लिए सर्टिफिकेट केस किया गया।

पिछड़े इलाकों में पंचवर्षीय योजना।

७५७। श्रीमती शांति देवी—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में दो पंचवर्षीय योजनायें लागू की गयीं;

(२) क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिला अन्तर्गत पलासी, टेढ़ा ग्राम, दिघल बैंक थाने पिछड़े हुए इलाके हैं;

(३) क्या यह बात सही है कि इन योजनाओं के अन्तर्गत इन पिछड़े हुए इलाकों में अब तक नहीं के बराबर कार्य हो पाया है;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इन पिछड़े इलाकों के सुधार के लिए क्या करने जा रही है?

डा० श्रीकृष्ण सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) इन इलाकों में अभी तक सामुदायिक विकास प्रखंड खोले न जा सके हैं। लेकिन डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा विभागीय योजना के अन्तर्गत इन इलाकों में अब तक निम्नांकित कार्य हो चुके हैं :—

टेढ़ागघ तथा दिघल बैंक थाना—

कुआं।	हरिजन बस्ती का कुआं।	कच्ची सड़क।	स्कूल।	अस्पताल।	पंचायत घर।
१	२	३	४	५	६
२६	६	१०	१	१	२

कुल ४६ योजनाओं के कार्य हुए हैं जिसमें कुल ४९,९४६ रुपये खर्च हुए हैं।

पलासी थाना—

अन्य विद्यालय।	पक्का कुआं।	नलकूप।
१	२	४४

(४) प्रखंड खुलने पर इनके विकास की सुव्यवस्थित योजना प्रखंड विकास समिति की सहमति से तैयार की जायगी और उसका कार्यान्वयन होगा। तब तक लोकल डेवलपमेंट प्रोग्राम या विभागीय योजनाओं का यथासम्भव लाभ इन क्षेत्रों को भी मिलेगा।

साम्यवादी सदस्य पर अपराध-अनुसंधान विभाग के कर्मचारियों द्वारा धांधली।

७७८। श्री कार्यानन्द शर्मा—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री जयगोविन्द, जो पिपुल्स बुकशोप, पटने का एक कर्मचारी है अपने हस्ताक्षर के साथ अपना बयान (स्टेटमेंट), ता० १९ दिसम्बर १९५८ को चीफ सेक्रेटरी, बिहार के पास भेजा है;

(२) क्या यह बात सही है कि उसमें उसने यह शिकायत की है कि ता० ३ दिसम्बर १९५८ को रात में ९ बजे के बाद एलीफिंस्टन सिनेमा के पास सड़क पर से उसे दो सी०आई०डी० के लोग पिस्तौल दिखाकर जबर्दस्ती गाड़ी में बैठाकर नं० ९९६ के पास के एक घर में ले गये और उससे कम्युनिस्ट पार्टी के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करने की कोशिश की तथा उसे रुपये देने का लालच दिखाया;